



स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव



महाराष्ट्र शासन

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.

दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९३०५१

Email ID : napu२२.mhpds@gov.in

क्रमांक : क्र. अधापु- २०२१/ प्र.क्र. ३३/ना.पु.-२२

दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०२१

प्रति

- १) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे)
- २) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई.
- ३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी,
- ४) अन्नधान्य वितरण अधिकारी (पुणे, नागपूर, सोलापूर),

विषय :- Corona Virus (Covid-१९) च्या प्रादुर्भावामुळे आलेल्या आर्थिक व्यत्ययामुळे गरीबांना सामोरे जावे लागत असलेल्या कठीण प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY-Phase-V) अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी माहे डिसेंबर २०२१ ते मार्च, २०२२ करीता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अन्नधान्याव्यतिरिक्त प्रतिसदस्य प्रतिमाह ५ किलो अन्नधान्य "मोफत" वितरीत करण्याबाबत.

संदर्भ :- केंद्र शासन आदेश क्र. F.No.७-१/२०१९-BP.III (Pt) (e-३७१२२५),
दि. २६.११.२०२१

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. २६.११.२०२१ च्या आदेशान्वये देशातील Corona Virus (Covid-१९) च्या प्रादुर्भावामुळे आलेल्या आर्थिक व्यत्ययामुळे गरीबांना सामोरे जावे लागत असलेल्या कठीण प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY-Phase-V) अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी माहे डिसेंबर २०२१ ते मार्च, २०२२ करीता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अन्नधान्याव्यतिरिक्त प्रतिसदस्य प्रतिमाह ५ किलो अन्नधान्य "मोफत" वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशानुसार प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना प्रतिसदस्य प्रतिमाह ५ किलो अन्नधान्य त्याचप्रमाणे अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये शिधापत्रिकेतील नोंदीनुसार प्रत्यक्ष असलेल्या सदस्यांनादेखील प्रतिसदस्य प्रतिमाह ५ किलो याच परिमाणात "मोफत" अन्नधान्य वितरीत करावयाचे आहे.

२. केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि. २६.११.२०२१ च्या पत्रान्वये सदर लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) नियतन प्राप्त झाले आहे. केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या नियतनाच्या मर्यादेत लक्ष्य

निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी माहे डिसेंबर २०२१ ते मार्च, २०२२ करिता याद्वारे अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) नियतन मंजूर करण्यात येत आहे. जिल्हानिहाय मासिक नियतनाचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. त्यानुसार भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून आवश्यक अन्नधान्याची उचल करावी.

३. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त पत्रानुसार माहे डिसेंबर, २०२१ व जानेवारी, २०२२ साठी वितरीत करावयाच्या अन्नधान्याच्या उचलीची मुदत दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत असेल. तसेच, माहे फेब्रुवारी, २०२२ व मार्च, २०२२ करिताच्या अन्नधान्याच्या उचलीची मुदत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील मुदतीप्रमाणे म्हणजेच नियतन महिन्याच्या आधीच्या महिन्यातील शेवटच्या दिनांकापर्यंत राहिल. सदर अतिरिक्त अन्नधान्याच्या उचलीस मुदतवाढ मिळणार नाही. विहित कालावधीत अन्नधान्याची उचल करण्यास कसूर केल्यास संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/उपनियंत्रक यांच्यावर कामात कुचराई केल्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, याची नोंद घ्यावी.

४. सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या परिमाणात माहे डिसेंबर २०२१ ते मार्च, २०२२ करिता अन्नधान्याचे मोफत वाटप त्या-त्या महिन्यात करावे.

५. अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबांतील सदस्यांनादेखील प्रतिसदस्य प्रतिमाह ५ किलो याच परिमाणात मोफत अन्नधान्य वितरीत करावयाचे आहे. उदा. अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबांतील लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या नियमित ३५ किलो अन्नधान्याचे वितरण केल्यानंतर, सदर अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकेतील सदस्य संख्येनुसार प्रतिसदस्य ५ किलो अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) मोफत वितरण करावयाचे आहे. म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकेवर १ सदस्य असल्यास ५ किलो, २ सदस्य असल्यास १० किलो याप्रमाणे अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) मोफत वितरण करावयाचे आहे.

प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांनादेखील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या ५ किलो प्रति सदस्य या परिमाणात अन्नधान्य वितरण केल्यानंतर प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) मोफत वितरण करावयाचे आहे.

६. सदर अन्नधान्य हे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अन्नधान्याव्यतिरिक्त उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांमध्ये त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अन्नधान्याबाबत जागरुकता निर्माण व्हावी, याकरिता सदर अतिरिक्त अन्नधान्याबाबत व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत पात्र स्थलांतरीत लाभार्थ्यांना प्रस्तुत योजनेचा लाभ घेता यावा, याकरिता "एक देश, एक शिधापत्रिका" योजनेतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ घेण्याबाबत प्रोत्साहित करण्याकरिता विशेष प्रयत्न करावेत.

७. उपरोक्त अन्नधान्याचे वितरण करताना रास्तभाव दुकानदारांनी e PoS द्वारे अन्नधान्य वितरीत करणे अनिवार्य राहिल.

८. शासनाचे सदर नियतन मंजूरीचे आदेश उपआयुक्त (पुरवठा) व इतर सर्व संबंधितांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. परंतु सदर नियतन आदेश इतर वरीष्ठांकडून प्राप्त न झाल्यामुळे अन्नधान्याची विहित मुदतीत उचल करता आली नाही व त्यामुळे नियतन व्यपगत झाले, ही सबब विचारात घेतली जाणार नाही व याबाबत संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

९. भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून अन्नधान्य स्विकारताना शासनाच्या निर्देशानुसार नमुने घेऊन संयुक्तपणे अन्नधान्याचा दर्जा तपासून तो समाधानकारक असल्याची खात्री करुनच अन्नधान्याची उचल करण्यात यावी. यासंबंधी शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर संयुक्त तपासणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या व शासनाच्या प्रतिनिधींची नावे, त्यांचे पद व तपासणीचा दिनांक व स्थळ याबाबतची जिल्हानिहाय माहिती अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ शासनास सादर करावी. सदर माहिती पुढील महिन्याच्या शासनाच्या नियतन आदेशापूर्वी प्राप्त न झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.

१०. शिधापत्रिकाधारकास रास्तभाव दुकानांच्या माध्यमातून सदर अन्नधान्याचे वाटप विहित परिमाणात होत असल्याची खातरजमा करण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात. अन्नधान्याचे वाटप होत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

११. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश, २०१५ मधील तरतूदीनुसार उपरोक्त अन्नधान्याच्या नियतनाचे "उपयोगिता प्रमाणपत्र" सादर करणे अनिवार्य आहे.

१२. माहे डिसेंबर २०२१ ते मार्च, २०२२ साठी अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरीता अतिरिक्त नियतनानुसार अन्नधान्याचा साठा मुक्त करण्याच्या सूचना भारतीय अन्न महामंडळास स्वतंत्र पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत.



(हेमंत वाडीकर)

कक्ष अधिकारी

सोबत:- विवरणपत्र

प्रत:- १) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा)

२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई

३) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.

४) संगणक कक्ष, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, यांना PoS मशीनमध्ये योग्य ते जिल्हानिहाय परिमाण (Policy) नमूद करण्याकरीता रवाना.

५) निवडनैस्ती :- नापु-२२

| विवरणपत्र | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|
| शासन पत्र क्र. अथापु. 2021/प्र.क्र. 33/नापु-22, दि. 26.11.2021 सोबतचे विवरणपत्र | | | | | | | | | |
| प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतर्गत राज्यातील "अंत्योदय अन्न योजना" व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना माहे माहे डिसेंबर 2021 ते मार्च, 2022 करिता "मोफत" वितरीत करावयाच्या अन्नधान्याचे मासिक नियतन | | | | | | | | | |
| अ.क्र | जिल्हा | अंत्योदय अन्न योजना सदस्यसंख्या | प्राधान्य कुटुंब सदस्यसंख्या | अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांची एकूण सदस्य संख्या | मासिक नियतनाचे परिमाण (कि.ग्रॅ.) | | मासिक नियतन (मे.टन) | | |
| | | | | | गहू | तांदूळ | गहू | तांदूळ | मासिक एकूण अन्नधान्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | A Region | 4180 | 700839 | 705019 | 3 | 2 | 2115 | 1410 | 3525 |
| | D Region | 1305 | 1000318 | 1001623 | 3 | 2 | 3005 | 2003 | 5008 |
| | E Region | 8180 | 2222508 | 2230688 | 3 | 2 | 6692 | 4461 | 11153 |
| | F Region | 48910 | 2976126 | 3025036 | 3 | 2 | 9075 | 6050 | 15125 |
| | G Region | 7023 | 1156240 | 1163263 | 3 | 2 | 3490 | 2326 | 5816 |
| | MTRA | 69598 | 8056031 | 8125629 | | | 24377 | 16250 | 40627 |
| 2 | ठाणे | 191085 | 525998 | 717083 | 2 | 3 | 1434 | 2151 | 3585 |
| 3 | पालघर | 461562 | 1467042 | 1928604 | 2 | 3 | 3857 | 5786 | 9643 |
| 4 | रायगड | 273602 | 1518538 | 1792140 | 2 | 3 | 3584 | 5376 | 8960 |
| 5 | रत्नागिरी | 138322 | 1030885 | 1169207 | 2 | 3 | 2338 | 3507 | 5845 |
| 6 | सिंधुदुर्ग | 76707 | 573815 | 650522 | 2 | 3 | 1301 | 1951 | 3252 |
| 7 | नाशिक | 861473 | 2933342 | 3794815 | 3 | 2 | 11384 | 7590 | 18974 |
| 8 | धळे | 383198 | 1138017 | 1521215 | 2 | 3 | 3042 | 4564 | 7606 |
| 9 | जळगांव | 607616 | 2202569 | 2810185 | 3 | 2 | 8431 | 5620 | 14051 |
| 10 | नंदूरवार | 532164 | 725772 | 1257936 | 2 | 3 | 2516 | 3774 | 6290 |
| 11 | अहमदनगर | 432789 | 2713304 | 3146093 | 3 | 2 | 9438 | 6292 | 15730 |
| 12 | पुणे ग्रामीण | 221221 | 2571640 | 2792861 | 3 | 2 | 8379 | 5586 | 13965 |
| 13 | पुणे शहर | 36175 | 1317503 | 1353678 | 3 | 2 | 4061 | 2707 | 6768 |
| 14 | सोलापूर ग्रामीण | 258768 | 1765658 | 2024426 | 3 | 2 | 6073 | 4049 | 10122 |
| 15 | सोलापूर शहर | 25005 | 511066 | 536071 | 3 | 2 | 1608 | 1072 | 2680 |
| 16 | कोल्हापूर | 240022 | 2369861 | 2609883 | 3 | 2 | 7830 | 5220 | 13050 |
| 17 | सांगली | 130467 | 1777950 | 1908417 | 3 | 2 | 5725 | 3817 | 9542 |
| 18 | सातारा | 132129 | 1734819 | 1866948 | 3 | 2 | 5601 | 3734 | 9335 |
| 19 | औरंगाबाद | 321821 | 2008530 | 2330351 | 3 | 2 | 6991 | 4661 | 11652 |
| 20 | जालना | 216196 | 1343935 | 1560131 | 3 | 2 | 4680 | 3120 | 7800 |
| 21 | नांदेड | 342986 | 1955768 | 2298754 | 3 | 2 | 6896 | 4597 | 11493 |
| 22 | बीड | 165289 | 1553394 | 1718683 | 3 | 2 | 5156 | 3437 | 8593 |
| 23 | उस्मानाबाद | 195189 | 1016672 | 1211861 | 3 | 2 | 3636 | 2424 | 6060 |
| 24 | परभणी | 197158 | 1017382 | 1214540 | 3 | 2 | 3644 | 2429 | 6073 |
| 25 | लातूर | 216740 | 1561593 | 1778333 | 3 | 2 | 5335 | 3557 | 8892 |
| 26 | हिंगोली | 137684 | 734092 | 871776 | 3 | 2 | 2615 | 1743 | 4358 |
| 27 | अमरावती | 499849 | 1402421 | 1902270 | 3 | 2 | 5707 | 3804 | 9511 |
| 28 | वाशिम | 207232 | 782759 | 989991 | 3 | 2 | 2970 | 1980 | 4950 |
| 29 | अकोला | 189011 | 1116753 | 1305764 | 3 | 2 | 3917 | 2611 | 6528 |
| 30 | दुलहाणा | 300165 | 1552372 | 1852537 | 3 | 2 | 5558 | 3705 | 9263 |
| 31 | यवतमाळ | 515471 | 1473334 | 1988805 | 3 | 2 | 5966 | 3978 | 9944 |
| 32 | नागपूर ग्रामीण | 323175 | 1389190 | 1712365 | 3 | 2 | 5137 | 3425 | 8562 |
| 33 | नागपूर शहर | 191787 | 1471444 | 1663231 | 2 | 3 | 3326 | 4990 | 8316 |
| 34 | वर्धा | 175590 | 920635 | 1096225 | 3 | 2 | 3289 | 2192 | 5481 |
| 35 | भंडारा | 270376 | 760909 | 1031285 | 2 | 3 | 2063 | 3094 | 5157 |
| 36 | गोंदिया | 337616 | 685604 | 1023220 | 2 | 3 | 2046 | 3070 | 5116 |
| 37 | चंद्रपूर | 515475 | 1077968 | 1593443 | 3 | 2 | 4780 | 3187 | 7967 |
| 38 | गडचिरोली | 409635 | 457466 | 867101 | 2 | 3 | 1734 | 2601 | 4335 |
| राज्याची एकूण | | 10800348 | 59216031 | 70016379 | | | 196425 | 153651 | 350076 |

Signature



Government of Maharashtra
Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department,
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk.,
Mantralay Annex, Mumbai-400 032

Telephone: 022-22793051

Email ID : napu22.mhpds@gov.in

No.- ADHAPU-2021/C.R.33 /CS-22

Date :- 26th November, 2021

To,

The General Manager (Mah),
Food Corporation of India,
Regional Office (Maharashtra),
FSD Complex,
Dattapada Road, Rajendra Nagar,
Borivali (E), Mumbai- 400 066.

Sub :- PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN ANNA YOJANA-
Monthly Allocation of Additional Foodgrains for distribution to all
beneficiaries under TPDS @ 5Kg per person per month for a period of 5
months i.e. July to November, 2021.

Ref :- 1) Govt. of India letter No. F.No.7-1/2019-BP.III (Pt) (e-371225),
dated:- 26.11.2021
2) State Govt. Letter of even no. Dtd. 26.11.2021.

Sir,

Government of India vide its above referred letter dated 26.11.2021 has sanctioned Monthly Allocation of Additional Foodgrains for distribution to all beneficiaries under TPDS (AAY & PHH) @ 5Kg per person per month for a period of 5 months i.e. December, 2021 to March, 2022. Accordingly, the State Government has issued district wise allocation for the said period vide above referred letter dated 26th November, 2021. (copy enclosed).

You are therefore requested to release the allocated quota of Wheat & Rice for Priority households & AAY category to the nominees of District Collector's and Controller of Rationing, Director, Civil Supplies, Mumbai as per the statement attached under intimation to this Government.

Yours faithfully,

(Hemant Wadikar)

Desk Officer

Copy to:1) Financial Advisor & Deputy Secretary, F.C.S & C.P. Dept, Mumbai.
2) Select file, Desk CS-22.